

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

रोशन खान बनाम अब्दुल गनी काठ
 किस्म मुकदमा टाटा मु.नं. 158 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
29/8/25	वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 19.09.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धौद जिला सीकर
16/9/25	पत्रावली के लंबित टी.डी. के.के. 1044 के फॉर्म को पर पत्रावली का जवाब में ली गई। वकील वादी (2) पत्रावली वाले लम्बी दुबरी जिं 19/9/25 को चेक है।
19/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली वाले लम्बी दुबरी डि. 28 ¹⁰ / ₂₅ का पेश हो।
28/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली वाले लम्बी डि. 14 ¹¹ / ₂₅ का पेश हो।
14/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं अनु.। वकील वादी व वादी स्वयं को बाइ-साइड भावना लगवाई गई। उक्त के बावजूद-मामला समझ में सामंजस तह भी वकील वादी व वादी स्वयं में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली उसी स्तर पर अफस पेंडिंग। अफस हाजिरी में जारी मुकदमा जानें के आदेश डिमें जाते हैं। पत्रावली फुलल शुमाड होऊँ बाद वकील वादी लफ्त हो।



उपखण्ड अधिकारी
 धौद जिला-सीकर

